

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2(ग)ए.सी.पी./86-III/अलेसे-I/11486-11510 दिनांक:- 05/02/2016

कार्यालय आदेश संख्या191...../2015-16

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती बैच 1986 उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा वर्तमान में जो सहायक लेखाधिकारी ग्रेड -I के पद पर कार्यरत हैं जिन्होंने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 7 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. पी.बी.-2, (9300-34800) एवं ग्रेड-पे 5400/- स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम सहा. लेखाधिकारी ग्रेड-I (सर्वश्री)	क.ले. मैरिट संख्या/ बैच	लिंक न.	जन्म तिथि	क.ले. पद पर कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	दामोदर प्रसाद शर्मा	145/86	3089	15.10.1965	30.06.1988	30.06.2015
2	सुरेश चन्द्र गुप्ता	146/86	3666	01.01.1966	04.07.1988	04.07.2015
3	जितेन्द्र बिहारी माथुर	201/86	2184	11.06.1963	29.06.1988	29.06.2015
4	कैलाश चन्द्र गुप्ता	256/86	8526	11.10.1958	25.05.1988	25.05.2015
5	राजेन्द्र कुमार	301/86	1371	22.05.1963	06.06.1988	06.06.2015
6	गोविन्द प्रसाद गौड़	324/86	1777	20.05.1964	06.06.1988	06.06.2015
7	सुरेश कुमार जैन	445/86	3764	07.02.1965	16.06.1988	16.06.2015
8	महेश कुमार अग्रवाल	437/86	5356	13.02.1962	06.06.1988	06.06.2015
9	सतीश कुमार शर्मा	484/86	3791	01.07.1962	13.07.1988	13.07.2015
10	घडसीराम पालीवाल	656/86	9036	01.01.1961	27.06.1988	27.06.2015
11	शिशुपाल सिंह	673/86	6322	10.11.1958	11.07.1988	11.07.2015

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त तालिका में कम संख्या 2, 3, 6 एवं 9 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के वांछित वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.2 (17) वित्त/राजस्व/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत 9 वर्षों की एपीएआर में से 7 वर्षों की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 4800 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लभित नहीं है।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2(ग)ए.सी.पी./86-III/अलेसे-I/11486-510 दिनांक:- 05/02/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री..... सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, कार्यालय.....
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।

(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)